

SIDBI - Charter of Committees of the Board

(Updated: November 2025)

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
IN ACCOR	DANCE WITH SEBI (LODR) AND VOLUNTARY COMPLIANCE OF RBI CIRCULAR NO. RBI/20 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 DATED APRIL 26, 2021	21-22/24
Audit Committee (AC)		
 The Audit Committee shall have minimum three members of which 2/3rd shall be Independent Directors. The chairperson of the Audit committee shall be independent director who shall not be a member of any committee of the Board which has a mandate of sanctioning credit exposures. The Chairperson of the Board shall not be the member of the Audit Committee. 	 The role of the Audit Committee shall include the following. A. Financial Statement: 1) Oversight of the SIDBI's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible. 2) Review of the periodical financial statement before submission to the Board. 3) Review of the annual financial statements and auditor's report thereon with particular reference to: a) matters required to be included in the directors' responsibility statement as a part of the Board's report. b) changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same. c) major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management. d) significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings. e) compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements. f) disclosure of any related party transactions. g) modified opinion(s) in the draft audit report. 4) Reviewing, with the management, the statement of uses/ application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public issue or rights issue or 	 Invitees: CFO, Chief Compliance Officer, Finance Head, Board Secretary and Auditors. Quorum: One third or three members, whichever is higher, with at least two independent directors. Meetings: At least one meeting in a quarter and not more than 120 days shall elapse between any two consecutive meetings. The chairperson of the Audit Committee shall be present at the annual general meetings to answer queries of the shareholders.

	Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
4)	All Members of the Audit Committee shall be financially	preferential issue or qualified institutions placement, and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter.	
	literate and at		
		1) to review the functioning of the whistle blower mechanism.	
		2) to review internal audit reports relating to internal control weaknesses and	
	accounting or related financial	management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors.	
	management/	3) reviewing the adequacy of internal audit function including the structure of the	
	professional	internal audit department, staffing and seniority of the official heading the	
	expertise.	department, reporting structure coverage and frequency of internal audit.	
5)		4) reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into	
	the Audit	matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal	
	Committee shall	control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.	
		5) reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and	
	from amongst	effectiveness of audit process.	
	•	6) recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors.	
	shall necessarily	7) approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the	
	Director where	statutory auditors.	
	regular	8) to review management discussion and analysis of financial condition and results	
	chairperson is not	of operations.	
		9) evaluation of internal financial controls and risk management systems.	
		10) to review the performance of statutory and internal auditors, adequacy of the	
	meeting.	internal control systems.	
6)	The Company	11) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up thereon.	
	,	12) Discussion with Statutory Auditors before the audit commences, about the nature	
	as Secretary to the	and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of	
	Committee	concern.	
	Meetings.	13) The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor shall be subject to review by the audit Committee.	
		Shall be subject to review by the addit committee.	

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
	 C. Related Party Transactions/ intercorporate loans and investments: 1) to grant omnibus approval of the routine related party transactions. 2) to recommend any matter relating to related party transactions. 3) approval or any subsequent modification of transactions of the listed entity with related parties. 4) scrutiny of inter-corporate loans and investments. 5) Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding rupees 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision. 6) Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholders. 	
	 D. Defaults / Deviations etc: 1) to look into the reasons for substantial defaults in the payment, if any, to the depositors, debenture holders/shareholders and statutory dues. 2) to review the action taken on inspections report of RBI (DoS). 3) to review cases, if any, of frauds and action taken thereof. 4) Review of quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to exchange. 5) Review of statement of deviations in respect of annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice. 	
	 E. Other Matters 1) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc, of the candidate. 2) Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee. 	

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
Risk Management Com	 3) The ACB/Board shall meet the Head of Internal Audit (HIA) at least once in a quarter, without the presence of the senior management (including the CMD/DMD). 4) The Audit Committee of the Board shall meet the CCO quarterly on one-to-one basis, without the presence of the senior management including CMD. F. Prohibition of Insider Trading To review compliance with the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) [PIT] regulations at least once in a financial year and to verify that the systems for internal control are adequate and are operating effectively. 	
1) RiMC shall have minimum three members with majority being independent/ non-executive directors including atleast 1 Independent Director. 2) The Chairperson of the RiMC shall be an independent director who shall not be a Chair of the board or any other committee of the board. The Chair of the board	The role of the RiMC shall include the following. 1) To formulate Risk Management policies for Credit, Market and Operational risks and policies for ALM, Investment, ICAAP and such other policies having a bearing on the risks faced by the Bank (e.g. Security and Collateral Management Policy, etc.) and recommend to the Board for its approval which shall include the followings: a) framework for identification of internal and external risks specifically faced by SIDBI, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee. b) Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks. c) Business continuity plan 2) Carry out periodic review of the risk policies and risk framework at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity. 3) To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of SIDBI.	1) Invitees: Chief Risk Officer, Legal or other Professionals or Outside Experts, if required. 2) Quorum: One third or three members, whichever is higher. At least half of the members attending the meeting of the RiMC shall be independent directors of which at least one member shall have professional expertise/

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
may be a member of the RiMC only if he/she has the requisite risk management expertise.	evaluating the adequacy of risk management systems 5) Define/ revise the roles and responsibilities of the other Risk Management	qualification in risk management. 3) Meeting: at least once in a quarter.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
	16)In case the CRO reports to the CMD, the RiMC shall meet the CRO on one-to-one basis, without the presence of the CMD, at least on a quarterly basis.	
Nomination & Remuner	ration Committee (NRC)	
The composition of NRC shall be as follows: 1) the committee shall comprise of at least three directors. 2) all directors of the committee shall be independent / non-executive directors and at least 2/3rd of the directors shall be Independent Directors 3) The Chairperson of the Committee shall be an independent director and the chairperson of the Board, whether executive or non-executive, shall not be chairperson of the committee.	 The role of NRC shall include the following. To consider and approve the payment of Performance Linked Incentive to Whole Time Directors (CMD and DMDs) of the Bank in terms of the guidelines provided by Government of India. To recommend to the Board to co-opt such number of directors, not exceeding four, under the proviso of section 6 (1) (f) of SIDBI Act, To recommend to the Board regarding extension/ continuation of the term of such appointment of the co-opted directors, on the basis of the report of performance evaluation of such directors. To formulate criteria for evaluation of performance of the Board of Directors; To evaluate performance of CMD/ WTDs for payment of Performance Linked Incentive. 	1) Quorum: One third or two members, whichever is higher, including at least one independent director. 2) Meeting: at least once in a financial year. 3) The chairperson of the nomination and remuneration committee may be present at the annual general meeting, to answer the shareholders' queries.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
Stakeholders Relations	hip Committee (SRC)	
The composition of SRC shall be as follows: 1) The committee shall have minimum three directors out of which at least one shall be independent director. 2) The chairperson of the committee shall be independent / non-executive director.	 The role of the committee shall include the following. Resolving the grievances of the security holders of the SIDBI including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc. To Review measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders. To review the adherence to the service standards adopted by the SIDBI in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent. To review the various measures and initiatives taken by SIDBI for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders. Resolving grievances of debenture holders related to creation of charge, payment of interest/principal, maintenance of security cover and any other covenants. 	 Quorum: One third or two members, whichever is higher. Meetings: at least once in a financial year. The chairperson of stakeholders relationship committee shall be present at the annual general meetings to answer queries of the debenture holders.
	INTERNAL COMMITTEES OF SIDBI PRESCRIBED UNDER SIDBI ACT, 1989	
Executive Committee (EC)	
The Executive Committee shall have minimum three members comprised of the followings. a) Chairman and Managing Director b) The Whole-time Directors and	 The role of executive committee shall be as follows: Approval of credit and investments related proposals (under various schemes of assistance) as per credit exposure norms/delegation. Sanction of refinance assistance to Banks/ SFB involving relaxation in norms beyond the relaxable caps prescribed under the scheme. Sanctions, OTS, restructuring etc to Banks and SFCs under Institutional Finance. Proposals for approval / sanction of exposure and securitization/ assignment of specified portfolio w.r.t NBFCs under Institutional Finance. 	1) Quorum: One third or two members, whichever is higher, including at least one independent/non-executive director. 2) Meetings: Need based.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.		
c) At least one other director	 Approval of proposals involving any relaxation in benchmark norms for sanction, eligibility parameters and other parameters for sanction as per DoP and proposals involving Connected Lending provisions. Sanction of commitments to SEBI registered Alternative Investment Funds on the recommendation of Venture Capital Investment Committee. Disinvestment of equity stake in TCOs below reserve price. Approval of One Time Settlement (OTS) involving principal sacrifice as per DoP approved from time to time. Approval of OTS / Part settlement of Wilful default/ non-cooperative / fraud cases. Approval of reduction in rate of interest on OTS amount/ waiver of such interest under all schemes of OTS for OTS cases sanctioned by Executive Committee. Approval of list of assets for sale to Banks/ Fls/ NBFCs/ ARCs as per DoP approved from time to time, and Such other functions as may be prescribed or as may, be delegated to it by the Board from time to time. 			
COM	IMITTEES CONSTITUTED IN TERMS OF RBI GUIDELINES OR AS DECIDED BY THE BANK / E	BOARD		
Recovery Review Comr	nittee (RRC)			
 The RRC shall be constituted in the following manner. CMD as Chairman of the Committee, Two DMDs, At least one other director 	 The Recovery Review Committee shall review the NPA cases having principal outstanding of ₹5 crore and above and SMAs, restructured accounts. Review and recommendation of Loan Recovery Policy to the Board for approval. 	1) Quorum: One third or two members, whichever is higher. 2) Meetings: At least once in a quarter.		
Review Committee on V	Review Committee on Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers (RCWD&NCB)			
The RCWD & NCB shall have minimum three directors with	' '	Quorum: One third or two members whichever is higher.		

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
CMD as chairman of the committee and at least two directors shall be co-opted directors.	cooperative borrowers. The Committee will also review, on half-yearly basis, cases of wilful default and non-cooperative borrowers and declassification, if any, thereof.	2) Meetings: Need based.
Special Committee of t	ne Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)	
The composition of SCBMF shall be as follows: 1) The committee shall have minimum three members from the Board, consisting of a whole-time director and a minimum of two independent directors/ non-executive directors. 2) The Committee shall be headed by one of the independent directors/ non-executive directors/ non-executive directors.	 Oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank. Review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds. 	 Quorum: One third or two members whichever is higher. Meetings: At least once in a quarter.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
Customer Service Com	mittee (CSC)	
The CSC shall have minimum three members comprised of the followings: 1) CMD 2) At least one DMD 3) At least one other director	 The Customer Service Committee shall review the status of customer service in the Bank and suggest measures to improve quality of customer services. The Committee also monitors the customer grievances and timely resolution thereof. Review and recommendation of policies on customer services for approval by the Board. 	 Quorum: One third or two members whichever is higher. Meetings: At least once in a quarter.
IT Strategy Committee	(ITSC)	
1) The IT Strategy Committee shall have minimum two directors as members, at least one shall be an independent/non- executive director. 2) IT Strategy Committee members should be technically competent. Technically competent herein will mean the ability to understand and evaluate	 Approving IT vision, strategy and IT policy documents owned by ITV. Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place. Ensuring that the business and IT strategy are in alignment. Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction. Ascertaining that management has implemented processes and practices which 	 Invitees: Vertical Head (ITV)/ CRO/CISO/ CTO/ External expert. Quorum: One third or two members whichever is higher. Meetings: At least one meeting in a quarter and not more than 120 days shall elapse between any two consecutive meetings.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/ Quorum/ Meetings etc.
technology systems. 3) At least one member should have substantial IT expertise in managing technology. 4) The Committee would be chaired by an independent/non-executive director.	 10)Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e., delivering the promised value). 11) IT Strategic Committee shall also act as apex committee for Information and Cyber Security. Take strategic and financial decisions on the information security plan to maintain a satisfactory level of information security in the Bank. 12) Establish a structure for implementation of an information security programme to enable a consistent and effective information security programme implementation. 13) Establish strong cyber security system and processes. 14) Establishing necessary organizational processes for information security and providing necessary resources for successful information security. 15) Review and recommendation of IT Security Policy, Cyber Security Policy and Business Continuity Management Policy for approval by the Board. 	
Committee on Environr	nent, Social and Governance Standards (CESG)	
The Committee of CESG shall have at least three members as under: 1) At least 1 DMD 2) At least one independent/ non-executive director.	strategy for the Bank for helping the MSMEs / stake holders achieving ESG. It shall	two members whichever is higher. 2) Meetings: Need based.

* * *



सिडबी- बोर्ड की समितियों का चार्टर

(अद्यतन: नवम्बर 2025)

संघटन		कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि	
	सेबी(एलओडीआर) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 26 अप्रैल 2021 के परिपत्र सं. आरबीआइ/2021-22/24 डीओआर. जीओवी. आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के अनुसार			
लेखापरीक्षा समिति	ने (एसी)			
 लेखापरीक्षा सं न्यूनतम तीन होंगे। उनमें द स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा स्री अध्यक्ष ऐसे निदेशक होंगे, ज किसी ऐसी स 	ा सदस्य दो तिहाई होंगे। मिति के स्वतंत्र जो बोर्ड की	लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित का समावेश होगाः A. वितीय विवरणी: 1) सिडबी की वितीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा उसकी वितीय सूचना का प्रकटन, तािक सुनिश्चित किया जा सके कि वितीय विवरणी शुद्ध, पर्याप्त और विश्वास-योग्य है। 2) बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व आविधिक वितीय विवरणी की समीक्षा। 3) वार्षिक वितीय विवरणियों तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षक-रिपोर्टों की विशेषतः निम्नलिखित दृष्टि से समीक्षाः	 आमंत्रितीः सीएफओ, मुख्य अनुपालन अधिकारी, वित-प्रमुख, बोर्ड सचिव और लेखापरीक्षक। गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा तीन सदस्य, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 	
सदस्य न हों, र्र एक्सपोज़र की अधिदेश प्राप्त ह अधिदेश प्राप्त ह 3) बोर्ड के लेखापरीक्षा स सदस्य नहीं हों 4) लेखापरीक्षा स सभी सदस्य वि से साक्षर हें	मंजूरी का हो। अध्यक्ष मिति के गे। मिति के	 a) बोर्ड की रिपोर्ट के रूप में निदेशकों की दायित्व-विवरणी में समाहित किए जाने की अपेक्षा रखनेवाले विषय b) लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों में परिवर्तन (यदि हों) तथा उनके कारण c) प्रबन्धन द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर अनुमान-युक्त प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ d) लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर वितीय विवरणियों में किये गये महत्त्वपूर्ण समायोजन e) वितीय विवरणियों से सम्बन्धित सूचीबद्धता और अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन f) सम्बन्धित पक्षकार के लेनदेन का प्रकटन g) प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय (रायें) 	दो स्वतंत्र निदेशकों सिहत। 3) बैठकेंः तिमाही में न्यूनतम एक बैठक। लगातार सम्पन्न किन्हीं दो बैठकों में 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।	

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
न्यूनतम एक सदस्य को लेखांकन अथवा सम्बन्धित वितीय प्रबन्धन/ प्रोफेशनल विशेषज्ञता प्राप्त होगी। 5) जहाँ नियमित अध्यक्ष न नियुक्त हो अथवा बैठक में उपस्थित न हो पाया हो, वहाँ लेखापरीक्षा समिति के सदस्य अपने बीच में से किसी को अध्यक्ष चुनेंगे, जिसे अनिवार्यतः स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। 6) कम्पनी सचिव इस समिति की बैठकों के सचिव के रूप में काम	 4) निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम आदि) के ज़िरए जुटाई गयी निधियों के उपयोग/ अनुप्रयोग की विवरणी, प्रस्ताव प्रलेख/विवरणिका/ सूचना में वर्णित उद्देश्यों से इतर के लिए प्रयुक्त निधियों की विवरणी तथा सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिकार निर्गम अथवा अधिमानी निर्गम से प्राप्त राशियों के उपयोग अथवा योग्यताप्राप्त संस्था द्वारा निर्योजन की निगरानी करनेवाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबन्धन के साथ समीक्षा, और इस विषय में कार्रवाई के लिए बोर्ड को उपयुक्त संस्तुतियाँ देना। B. आन्तरिक नियन्त्रण एवं लेखापरीक्षा: 1) विसल ब्लोअर प्रणाली के कामकाज की समीक्षा 2) आंतरिक नियंत्रण दुर्बलता सम्बन्धी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टी और प्रबंधन के पत्रों/ आंतरिक नियंत्रण दुर्बलता के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी पत्रों की समीक्षा। 3) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य की पर्याप्तता की समीक्षा। इसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग और विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारी की विरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढाँचा कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी शामिल है। 4) जिन मामलों में धोखाधड़ी का सन्देह हो अथवा अनियमितता हो अथवा किसी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और बोर्ड को मामले की रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण स्वरूप वाली कोई विफलता हो, उनमें आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा आन्तरिक जाँचों के निष्कर्षों की समीक्षा। 	4) लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठकों में उपस्थित रहेंगे।
करेगा।	5) लेखापरीक्षकों की निष्पक्षता एवं कार्यनिष्पादन तथा लेखापरीक्षा-प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा और निगरानी।	
	6) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और शर्तों की संस्तुति।	
	7) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गयी अन्य सेवाओं के लिए उनको भुगतान का अनुमोदन।	
	8) प्रबन्धन के विचार-विनियम की समीक्षा और वित्तीय स्थिति एवं परिचालनों के परिणामों का विश्लेषण	

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	9) आन्तरिक वितीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों का मूल्यांकन	
	10) सांविधिक एवं आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।	
	11) महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों तथा तत्सम्बन्धी अनुवर्तन के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखापरीक्षकों से चर्चा।	
	12) लेखापरीक्षा आरम्भ होने के पूर्व, लेखापरीक्षा के स्वरूप और परिव्याप्ति के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा तथा लेखापरीक्षा-उपरान्त चर्चा, ताकि चिन्ताकारक क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।	
	13) मुख्य आन्तरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, हटाया जाना और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति के समीक्षाधीन होंगी।	
	C. सम्बन्धित पक्षकार लेनदेन/ अन्तर-कॉर्पोरेट ऋण एवं निवेशः	
	1) नेमी प्रकृति के सम्बन्धित पक्षकार लेनदेन हेतु सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करना	
	2) सम्बन्धित पक्षकार लेनदेन से जुड़े विषयों की संस्तुति।	
	3) सम्बन्धित पक्षकारों के सूचीबद्ध निकाय के लेनदेन में परवर्ती आशोधन का अनुमोदन।	
	4) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा	
	5) धारक कम्पनी द्वारा सहायक संस्था में किए/ से लिये गये ऐसे ऋणों और/अथवा अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा जो रुपये 100 करोड़ से अधिक हों अथवा जहाँ सहायक संस्था का आस्ति आधार 10% हो (दोनों में से जो कम हो)। इनमें इस प्रावधान के प्रभावी होने की तारीख में विद्यमान वर्तमान ऋण/ अग्रिम/निवेश भी शामिल हैं।	
	6) सूचीबद्ध निकाय और उसके शेयरधारकों पर विभाजन, समामेलन आदि से युक्त योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार एवं टिप्पणी।	

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	D. चूकें/ विचलन आदि	
	1) यदि जमाकर्ताओं, ऋणपत्र धारकों/शेयरधारकों तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान में उल्लेखनीय चूकें हों तो उनके कारणों का पता लगाना।	
	2) भारतीय रिज़र्व बैंक (डीओएस) के निरीक्षणों के रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा।	
	3) धोखाधड़ी के मामले हों तो उनकी तथा उनपर की गयी कार्रवाई की समीक्षा।	
	4) विचलन सम्बन्धी तिमाही विवरणी की समीक्षा। इसमें, यदि लागू हो तो, निगरानी एजेंसी द्वारा एक्स्चेंज को प्रस्तुत रिपोर्ट भी शामिल है।	
	5) प्रस्ताव प्रलेख/ विवरणिका/ सूचना में उल्लिखित उद्देश्य से इतर उद्देश्य के लिए प्रयुक्त निधियों की वार्षिक विवरणी के सम्बन्ध में विचलन की विवरणी की समीक्षा।	
	E. अन्य मामले	
	1) अभ्यर्थी की योग्यताओं, अनुभव एवं पृष्ठभूमि आदि के मूल्यांकन के उपरान्त मुख्य वितीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन।	
	2) लेखापरीक्षा समिति के कार्य-क्षेत्र में उल्लिखित अन्य प्रकार्य सम्पन्न करना।	
	3) एसीबी/बोर्ड तिमाही में कम से कम एक बार, वरिष्ठ प्रबन्धन (सीएमडी/डीएमडी सहित) की अनुपस्थिति में आंतरिक लेखापरीक्षा-प्रमुख (एचआइए) के साथ बैठक करेगा।	
	4) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सीसीओ से तिमाही आधार पर, सीएमडी सहित वरिष्ठ प्रबन्धन की अनुपस्थिति में आमने-सामने बैठक करेगी।	

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	F. अन्दरूनी व्यापार का निषेध	
	सेबी (अन्दरूनी व्यापार निषेध) [पीआइटी] विनियम के प्रावधानों के अनुपालन की वितीय वर्ष में न्यूनतम एक बार समीक्षा करना, ताकि सत्यापित हो जाए कि आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से परिचालित हैं।	
जोखिम प्रबन्धन समिति (आ	रआइएमसी)	
1) आरआइएमसी में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जिनमें बहुलता स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक निदेशकों की होगी, और कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होगा। 2) आरआइएमसी का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा, जिसे बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। यदि बोर्ड के अध्यक्ष को जोखिम प्रबन्धन की अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो,	आरआइएमसी की भूमिका में निम्निलिखित का समावेश होगा: 1) ऋण, विपणन तथा परिचालनगत जोखिमों तथा एएलएम, निवेश, आइकैप एवं ऐसी अन्य नीतियों के लिए जोखिम प्रबन्धन नीतियाँ तैयार करना, जिनका बैंक के समक्ष आनेवाले जोखिमों (जैसे प्रतिभूति एवं संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, आदि) पर प्रभाव पड़ता हो; और उसे बोर्ड के अनुमोदन हेतु संस्तुत करना, जिसमें निम्निलिखित का समावेश होगाः a) सिडबी के समक्ष आ रहे आन्तिरिक एवं बाहय जोखिम, खास तौर से वितीय, परिचालनगत, क्षेत्रगत, वहनीयता सम्बन्धी जोखिमों (विशेषतः ईएसजी सम्बन्धी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों अथवा समिति द्वारा निर्धारित किए गये अन्य जोखिमों को चिहिनत करने सम्बन्धी ढाँचा। b) जोखिम शमन के उपाय, जिनमें चिहिनत जोखिमों के लिए आन्तिरिक नियंत्रण सम्बन्धी प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ शामिल हैं। c) व्यवसाय सातत्य योजना 2) जोखिम नीतियों एवं जोखिम ढाँचे की दो वर्ष में न्यूनतम एक बार आवधिक समीक्षा, जिसमें उद्योगों के परिवर्तनशील स्वरूप एवं बढ़ती हुई जटिलता पर भी विचार किया जाए। 3) सुनिश्चित करना कि सिडबी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त पदधित, प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियाँ उपलब्ध हैं।	 आमंत्रितीः मुख्य जोखिम अधिकारी, आवश्यकतानुसार विधिक अथवा अन्य प्रोफेशनल अथवा बाह्य विशेषज्ञ। गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा तीन सदस्य, जो भी अधिक हो। आरआइएमसी की बैठक में भाग लेनेवाले कम से कम आधे सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए, जिनमें से कम से कम एक को जोखिम प्रबन्धन में प्रोफेशनल विशेषज्ञता/ योग्यता प्राप्त होना चाहिए।

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
तभी वह आरआइएमसी का सदस्य हो सकता है।	4) जोखिम प्रबन्धन नीति के क्रियान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण। इसमें जोखिम प्रबन्धन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन भी शामिल है।	3) बैठक ः तिमाही में कम से कम एक
	5) अन्य जोखिम प्रबन्धन समितियों, जैसे उद्यम जोखिम प्रबन्धन समिति (ईआरएमसी) तथा आस्ति- देयता प्रबन्धन समिति (आल्को) की भूमिकाओं एवं दायित्वों को परिभाषित/ संशोधित करना।	
	6) ईआरएमसी/आलको द्वारा उठाए गये मामलों में दिशानिर्देश/ निदेश देना।	
	7) आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) तथा पूँजी बजटिंग मूल्यांकन की समीक्षा।	
	8) संगठन-पर्यन्त जोखिम-प्रोफाइलों की समीक्षा और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम सीमाओं के अनुपालन की समीक्षा।	
	9) ऋण एवं परिचालनगत जोखिम के मापन/आकलन, पद्धितियों, मॉडलों, साधनों एवं ढाँचे तथा बैंक में क्रियान्वित जोखिम के मापन/ प्रबन्धन मॉडल के आविधक सत्यापन सम्बन्धी ढाँचे के विकास, क्रियान्वयन एवं आशोधन का अनुमोदन।	
	10) उधारकर्ता स्तर और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम-न्यूनीकरण, उधार-योग्य/ निवेश-रेटिंग ग्रेडों का अनुमोदन तथा बैंक की जोखिम वहन-क्षमता के अनुरूप एक्सपोज़र सीमा संरचना का निर्धारण और अनुपालन की निगरानी।	
	11) अपनी बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग बोर्ड को करते हुए, अपनी चर्चाओं के स्वरूप और विषयवस्तु, संस्तुतियों तथा की जानेवाली कार्रवाई से निदेशक-मण्डल को अवगत कराते रहना।	
	12) यदि कोई मुख्य जोखिम अधिकारी हो तो उसकी नियुक्ति, हटाए जाने तथा पारिश्रमिक की शर्ते जोखिम प्रबन्धन समिति की समीक्षा पर निर्भर करेंगी।	
	13) जिन मामलों में गतिविधियाँ अन्य समितियों की गतिविधियों से अधिव्याप्त (ओवरलैप) हों वहाँ सिमिति अपनी गतिविधियों को निदेशक-मण्डल द्वारा निर्धारित ढाँचे के अनुसार उक्त समितियों के साथ समिनवत करेगी।	

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	 14) आरम्भिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) सम्बन्धी ढाँचे की प्रभावोत्पादकता का पर्यवेक्षण और खाते की रेड फ्लैगिंग (आरएफए)। 15) जोखिम प्रबन्धन समिति को किसी भी कर्मचारी से सूचना माँगने, बाहर से विधिक अथवा अन्य प्रोफेशनल सलाह लेने तथा आवश्यक समझे जाने पर प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों को आमंत्रित करने की शक्ति होगी। 16) यदि सीआरओ सीएमडी को रिपोर्ट करें तो आरआइएमसी कम से कम तिमाही आधार पर, सीआरओ के साथ आमने-सामने बैठक करेगी, जिसमें सीएमडी उपस्थित नहीं होंगे। 	
नामांकन एवं पारिश्रमिक सर्वि	मेति (एनआरसी)	
एनआरसी का संघटन निम्नवत होगाः 1) समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। 2) समिति के सभी निदेशक स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे और न्यूनतम 2/3 निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। 3) समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड के निदेशक इस समिति के अध्यक्ष नहीं	एनआरसी की भूमिका में निम्निलिखित का समावेश होगाः 1) बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (सीएमडी और डीएमडी) को भारत सरकार द्वारा प्रावधानित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के अनुमोदन पर विचार करना। 2) सिडबी अधिनियम की धारा 6 (1) (f) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या में, किन्तु अधिकतम चार निदेशकों को सहयोजित करने के सम्बन्ध में बोर्ड को संस्तुति करना। 3) सह-योजित निदेशकों की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने/ जारी रखने के सम्बन्ध में बोर्ड को संस्तुति करना। 4) निदेशक-मण्डल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों का निर्धारण करना। 5) कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के भुगतान हेतु सीएमडी/पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।	 गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो। इसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो। बैठकः वितीय वर्ष में न्यूनतम एक। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष, शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रह सकता है।

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
हों, चाहे वे कार्यपालक निदेशक हों अथवा गैर- कार्यपालक। हितधारक सम्बन्ध समिति (एसआरसी)	
एसआरसी का संघटन निम्नवत होगाः 1) समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। 2) समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक निदेशक होगा।	समिति की भूमिका में निम्नलिखित का समावेश रहेगा 1) सिडबी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान। इसमें शेयरों के अन्तरण/ प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, घोषित लाभांश न मिलने सम्बन्धी शिकायतें, नया/ दुबारा प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य	 गणप्तिः एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो। बैठकेंः वितीय वर्ष में न्यूनतम एक बार हितधारक सम्बन्ध समिति का अध्यक्ष ऋणपत्र-धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहेगा।

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	सिडबी की आन्तरिक समितियाँ जो सिडबी अधिनियम 1989 में विनिर्दिष्ट हैं	
कार्यपालक समिति (ईसी)		
कार्यपालक समिति में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जिनमें निम्नलिखित समाहित होंगेः a) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक b) पूर्णकालिक निदेशकगण और c) न्यूनतम एक निदेशक	कार्यपालक समिति की भूमिका निम्नवत होगीः 1) (विभिन्न सहायता योजनाओं के अन्तर्गत) ऋण एवं निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों का ऋण-एक्स्पोज़र मानदण्डों/प्रत्यायोजन के अनुरूप अनुमोदन 2) बैंकों/एसएफबी को ऐसी पुनर्वित सहायता की मंजूरी, जिसमें योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों में रियायत-योग्य अधिकतम सीमा से अधिक रियायत दी जानी हो। 3) संस्थागत वित्त के अन्तर्गत बैंकों एवं राज्य वितीय निगमों को मंजूरी, ओटीएस, पुनर्सरचना आदि। 4) संस्थागत वित्त के अन्तर्गत एनबीएफसी से सम्बन्धित विशिष्ट पोर्टफोलियों के अन्तर्गत एक्सपोज़र के अनुमोदन/मंजूरी एवं प्रतिभूतीकरण/ समनुदेशन सम्बन्धी प्रस्ताव। 5) ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन जिनमें मंजूरी, पात्रता मापदण्डों एवं शक्ति-प्रत्यायोजन के अनुसार मंजूरी हेतु अन्य मापदण्डों में कोई रियायत दी जानी हो और सम्बद्ध ऋणप्रदायगी प्रावधान-युक्त प्रस्ताव। 6) सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों को उद्यम पूँजी निवेश समिति की संस्तुति पर वचनबद्धताओं की मंजूरी 7) तकनीकी परामर्श संगठनों में ईक्विटी-धारिता का आरक्षित मूल्य से कम पर विनिवेश। 8) मूलधन में त्याग वाले एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का समय-समय पर अनुमोदित डीओपी के अनुरूप अनुमोदन। 9) इरादतन चूककर्ता/ असहयोगपूर्ण/ धोखाधड़ी युक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में ओटीएस/आंशिक निपटान का अनुमोदन।	1) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो। इसमें कम से कम एक स्वतंत्र/ गैर- कार्यपालक निदेशक होना चाहिए। 2) बैठकेंः आवश्यकता- आधारित

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	 10) ओटीएस राशि पर ब्याज-दर में कटौती/ कार्यपालक समिति द्वारा ओटीएस प्रस्तावों के लिए स्वीकृत सभी ओटीएस योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे ब्याज के अधित्याग का अनुमोदन 11) समय-समय पर अनुमोदित शक्ति-प्रत्यायोजन के अनुसार बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ एनबीएफसी/ एआरसी को बेची जानेवाली आस्तियों की सूची का अनुमोदन। 12) बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अथवा प्रत्यायोजित किये जानेवाले अन्य कार्य। 	
	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों अथवा बैंक/ बोर्ड के निर्णयानुसार गठित समितियाँ	
वस्ली समीक्षा समिति (आर	आरसी)	
 1) आरआरसी का संघटन निम्नवत होगाः a) सीएमडी समिति के अध्यक्ष के रूप मे b) दो डीएमडी c) न्यूनतम एक अन्य निदेशक 	1) वसूली समीक्षा समिति रु. 5 करोड़ और उससे अधिक के मूलधन बकाया वाले प्रस्तावों तथा एसएमए, पुनर्सरचित खातों की समीक्षा करेगी। 2) ऋण वसूली नीति की समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु बोर्ड को संस्तुति।	 गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो बैठकेंः तिमाही में न्यूनतम एक
इरादतन चूककर्ता एवं असहय	ोगपूर्ण उधारकर्ता समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी)	
इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगपूर्ण उधारकर्ता समीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक	प्रस्तावों को इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगपूर्ण उधारकर्ता के रूप में चिहिनत करने के उद्देश्य से इरादतन चूककर्ताओं एवं असहयोगपूर्ण उधारकर्ताओं की पहचान के लिए समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा। यदि इरादतन चूक एवं असहयोगपूर्ण उधारकर्ताओं के प्रस्ताव होंगे तो समिति उनके वर्गीकरण की अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा भी करेगी।	1) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो।

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
होंगे। इसके अध्यक्ष सीएमडी और न्यूनतम दो सह-योजित निदेशक इसके निदेशक होंगे।		2) बैठकेंः आवश्यकता- आधारित
धोखाधड़ी-युक्त प्रस्तावों की रि	नेगरानी एवं अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	
एससीबीएमएफ का संघटन निम्नवत होगाः 1) सिमिति में बोर्ड के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जिनमें एक पूर्णकालिक निदेशक तथा न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक/ गैर कार्यपालक निदेशक होंगे। 2) सिमिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों/ गैर- कार्यपालक निदेशकों में से कोई एक करेगा।	 एससीबीएमएफ के दायित्व वैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन की प्रभावोत्पादकता का पर्यवेक्षण। धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी तथा मूल कारणों का विश्लेषण करना और अन्तरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबन्धन ढाँचे के सुदृढ़ीकरण एवं धोखाधड़ी की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए शमनकारी उपाय सुझाना। सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा, तािक a) धोखाधड़ियों के वर्गीं/ प्रवृत्तियों, उद्योग/क्षेत्रगत/भौगोलिक संकेन्द्रण का परीक्षण किया जा सके b) यदि कोई ऐसा व्यवस्थागत दोष हो, जिससे धोखाधड़ी करने में मदद मिलती हो तो उसे चिहिनत करके उसके निवारण का उपाय करना। c) धोखाधड़ियों का पता लगाने/वर्गीकरण में कोई विलम्ब हुआ हो तो उसके कारणों की पहचान करना और बैंक के उच्च प्रबन्धन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना। d) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो/ पुलिस जाँच की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी करना। e) सुनिश्चित करना कि सभी स्तरों पर और धोखाधड़ी के सभी मामलों में स्टाफ जवाबदेही का अविलम्ब परीक्षण हो/ निष्कर्ष निकले और यदि स्टाफ पर कोई कार्रवाई आवश्यक हो तो वह बिना समय गँवाए तेजी से सम्पन्न हो। 	1) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो। 2) बैठकेंः तिमाही में न्यूनतम एक बार

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	f) की गयी उपचारी कार्रवाई जैसे आन्तरिक नियंत्रणों के सुदृढ़ीकरण की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा, ताकि धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।	
	g) धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों के सुदृढ़ीकरण कलिए प्रासंगिक समझे गये अन्य उपायों का प्रावधान।	
ग्राहक सेवा समिति (सीएससी	7)	L
सीएससी में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जो निम्नवत होंगेः	1) ग्राहक सेवा समिति बैंक में ग्राहक सेवा की स्थिति की समीक्षा करेगी और ग्राहक-सेवाओं की गुणवता में सुधार के उपाय सुझाएगी। यह समिति ग्राहक-शिकायतों तथा समय पर उनके समाधान की निगरानी भी करती है।	1) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो।
1) सीएमडी	2) ग्राहक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों की समीक्षा करना और बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुति देना।	2) बैठकें ः तिमाही में न्यूनतम
2) कम से कम एक डीएमडी		एक बार
 कम से कम एक अन्य निदेशक 		
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति	समिति (आइटीएससी)	
1) आइटी रणनीति समिति	आइटीएससी की भूमिका में निम्नलिखित का समावेश होगाः	1) आमंत्रितीः वर्टिकल प्रम्ख
में न्यूनतम दो निदेशक	1) आइटी विज़न, रणनीति एवं आइटीवी के स्वामित्व वाले आइटी नीति दस्तावेज़ों का अनुमोदन।	(आइटीवी)/ सीआरओ
सदस्य के रूप में होंगे।	 स्निश्चित करना कि प्रबन्धन ने प्रभावशाली रणनीतिक आयोजना प्रक्रिया तैयार की है। 	सीआइएसओ/ सीटीओ
कम से कम एक को स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक	 सुनिश्चित करना कि व्यवसाय एवं आइटी रणनीति परस्पर अनुकूल हैं। 	बाहरी विशेषज्ञ
निदेशक होना चाहिए।		

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
 आइटी रणनीति समिति के सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए। यहाँ तकनीकी सक्षमता से आशय है प्रौद्योगिकीय प्रणालियों को समझने और उनके मूल्यांकन की क्षमता। कम से कम एक सदस्य को आइटी प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए। समिति की अध्यक्षता कोई स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक करेंगे। 	 4) सुनिश्चित करना कि आइटी संगठनात्मक ढाँचा व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा की अनुपूर्ति करता है। 5) पक्का करना कि प्रबन्धन ने ऐसी प्रक्रियाओं और पद्धतियों का क्रियान्वयन किया है जो आइटी द्वारा व्यवसाय में मूल्यवता का सन्निवेश सुनिश्चित करती हैं। 6) सुनिश्चित करना कि आइटी निवेश में बैंक की वृद्धि को बनाये रखने के लिए जोखिमों एवं लाभों का संतुलन है और बजट स्वीकार्य हैं (अर्थात वह आइटी बजट बोर्ड को संस्तुत करें)। 7) रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आइटी संसाधनों के निर्धारण हेतु प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त पद्धित की निगरानी तथा आइटी संसाधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग हेतु उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना। 8) आइटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति एक्सपोजर के बारे में जागरुक रहना और आइटी जोखिमों की प्रबन्धन द्वारा निगरानी की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन। 9) बैंक स्तर पर आइटी के समग्र निधीयन का पर्यवेक्षण और यह पक्का करना कि आइटी जोखिमों का उचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धन के पास संसाधन उपलब्ध हैं। 10) आइटी कार्यनिष्पादन के मापन और व्यवसाय में आइटी के योगदान (यानी वादे के अनुसार मूल्यवता प्रदायगी) की समीक्षा। 11) आइटी रणनीति समिति सूचना एवं साइबर सुरक्षा के लिए शीर्षस्थ समिति के रूप में भी काम करेगी। बैंक में सूचना सुरक्षा का संतोषजनक स्तर बनाये रखने की दृष्टि से वह सूचना सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में रणनीतिक और वितीय निर्णय करेगी। 12) सूचना सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संरचना का विकास, ताकि सुस्थिर और प्रभावी सूचना सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन सम्भव हो सके। 13) सुदृह साइबर सुरक्षा प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की स्थापना। 	2) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो 3) बैठकेंः तिमाही में न्यूनतम एक बैठका दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

संघटन	कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/ गणपूर्ति/बैठकें आदि
	 14) सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संगठनात्मक प्रक्रियाओं की स्थापना और सफल सूचना सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। 15) आइटी सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति एवं व्यवसाय सातत्य प्रबन्धन नीति की समीक्षा और बोर्ड के अनुमोदनार्थ संस्तुति। 	
पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन मानक सम्बन्धी समिति (सीईएसजी)		
सीईएसजी सम्बन्धी समिति में निम्नानुसार न्यूनतम तीन सदस्य होंगेः 1) न्यूनतम 1 डीएमडी 2) न्यूनतम एक स्वतंत्र/ गैर- कार्यपालक निदेशक	पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों पर समिति एमएसएमई / हितधारकों को ईएसजी प्राप्त करने में मदद करने के लिए बैंक के लिए रणनीति तैयार करेगी। यह ईएसजी से संबंधित बैंक की पहलों की निगरानी और समीक्षा करेगा और ईएसजी एजेंडा विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, कार्बन तटस्थता, स्थिरता आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक का मार्गदर्शन करेगा। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों के विकास का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी करेगा और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।	 गणपूर्तिः एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो। बैठकेंः आवश्यकतानुसार आमंत्रितीः बाह्य विशेषज्ञ, जब भी आवश्यक हो

* * *